राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	विविध	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्तागण
1.	02 / 2025	3412 / 2023	कमल मावर	राजस्थान जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य	श्री कमलेश शर्मा एवं सुश्री प्रज्ञा सेठ
2.	01 / 2025	3413 / 2023	आकाश मित्तल	राजस्थान जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य	
3.	03 / 2025	256 / 2024	नेमी चन्द	राजस्थान जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य	

आदेश की दिनांक : 07.03.2025

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित तीनों अपीलों में इस अधिकरण ने आदेश दिनांक 04.03.2025 पारित कर अपीलों को निस्तारित किया था। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त आदेश दिनांक 04.03.2025 में संशोधन चाहा गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण ने पूर्व में एक अन्य कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 06.11.2023 अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की थी। इसके पश्चात निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर द्वारा कम्प्यूटर साईंस विषय की योग्यता के संबंध में नई रिपोर्ट दिनांक 16.08.2024 प्रस्तुत की है, जिसमें कमेटी ने कंप्यूटर सांईस विषय के संबंध में योग्यता धारण करने की रिपोर्ट दी है।
2. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया।
3. हम पाते हैं कि कार्यालय निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर द्वारा कम्प्यूटर साईंस विषय की योग्यता के संबंध में नई कमेटी रिपोर्ट दिनांक 16.08.2024 प्रस्तुत हुई है। हम पाते हैं कि कमेटी की पूर्व में एक अन्य रिपोर्ट दिनांक 06.11.2023 भी प्रस्तुत हो चुकी है। ऐसे में अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2025 में संशोधन कर यह आदेश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 06.11.2023 को जारी रिपोर्ट एवं दिनांक 16.08.2024 को जारी नई रिपोर्ट को विचार में रखते हुए यह निर्णय पारित करें कि दोनों कमेटी के

निर्णयों में से कौनसी रिपोर्ट अपीलार्थीगण की योग्यता के संबंध में लागू की जावें एवं उसके पश्चात अपीलार्थीगण की कम्प्यूटर साईंस विषय की योग्यता के संबंध में जांच कर अपीलार्थीगण की पदोन्नति हेतु डीपीसी पर विचार करें। प्रत्यर्थी विभाग अथवा डीपीसी में लिये गये निर्णय से यदि अपीलार्थीगण सहमत नहीं हो तो अपीलार्थीगण नये सिरे से अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगें। इस आदेश के साथ अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

4. मूल आदेश अपील संख्या 3412/2023 में एवं छाया प्रति अन्य दोनों अपीलों में रखी जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)